

\*

↑

96

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर  
क्रमांक एफ 11(72अ)एफसीए/मुवसअ/2017/ 287 दिनांक 10/01/2018

निमित्त:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान-जयपुर।

PCA  
21/01/18

विषय:-ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती में ओ.एच.एस.आर. के निर्माण हेतु 0.0225 है0वनभूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (पीएचईडी)2017/एफसीए/प्रमुवसं/1460 दिनांक 22.03.2018

49/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आपके संदर्भित पत्र के क्रम में ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती में ओ.एच.एस.आर. के निर्माण हेतु 0.0225 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में उप वन संरक्षक, अजमेर ने अपने पत्रांक 175 दिनांक 4.1.2019 द्वारा बिन्दूवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायी गयी है। जो आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

137  
21/1/19  
R.C.  
W.R.C.  
21/1/19

भवदीय,

(राजकुमार सिंह)  
मुख्य वन संरक्षक  
अजमेर

क्रमांक सम/

दिनांक

प्रतिलिपि:-उप वन संरक्षक, अजमेर को उनके पत्रांक 175 दिनांक 4.1.2019 के क्रम सूचनार्थ प्रेषित है।

(राजकुमार सिंह)  
मुख्य वन संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

फ( )एफओ/उवस/2018-19/

175

दिनांक:- 14.11.18

मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर।

विषय:- रम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती में ओ.एच.एस.आर. के निर्माण हेतु 0.0225 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में।

संदर्भ:- भारत-सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक 8वीं/राज/08/26/2017/एफसी/872 दिनांक 09.03.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रकरण में भारत-सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक 8वीं/राज/08/26/2017/एफसी/872 दिनांक 09.03.2018 द्वारा 0.0225 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्ताधीन प्रदान किये जाने पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्रांक 9259 दिनांक 27.11.2018 द्वारा मांग पर अनुसार राशि जमा कराते हुए बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अभिगम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

| क्र. सं. | भारत-सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक 8वीं/राज/08/26/2017/एफसी/872 दिनांक 09.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्रांक 9259 दि.27.11.2018 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | वनभूमि की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वनभूमि की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। वनवृद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।                                                                                                           |
| 2        | प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत 10 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों का समाहित करते हुए यथार्थशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि रु. 274764/- चालान नं. 055920180913291094 द्वारा दि.14.09.2018 को ऑनलाइन जमा करा दी गई है जिसमें 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की राशि 230000/- सम्मिलित है।       |
| 3        | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1930 के उल्लंघन फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत, प्रभावित वनभूमि 0.0225 हैक्टर के दरानुसार गुने अवनत वनभूमि पर (0.0225x10=0.225Ha.) अर्थात् 0.225 हैक्टर पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों का समाहित करते हुए यथार्थशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि रु. 274764/- चालान नं. 055920180913291094 द्वारा दि.14.09.2018 को ऑनलाइन जमा करा दी गई है जिसमें दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 30679/- सम्मिलित है। |
| 4        | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथार्थशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी। इसका उपरान्त जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन ई रसीद का छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का तदवार विवरण अर्थात् एनपीवी, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, पारिक्षण लाइन के नीचे बौने पोथ का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि रु. 274764/- चालान नं. 055920180913291094 द्वारा दि.14.09.2018 को ऑनलाइन जमा करा दी गई है जिसमें एनपीवी की राशि 14085/- सम्मिलित है।                           |
| 5        | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की मात्रा में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रयोक्ता अभिकरण से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।                                                                                                                              |

भारत-सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक  
तं. 8बी/राज/08/26/2017/एफसी/872 दिनांक 09.03.2018

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्रांक 92  
द्वारा प्रेषित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट

6 विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्थानों  
द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा।  
यह सीमांकन 4 फीट ऊँचे आर.आर.सी. पिलरों से किया  
जायेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, डीजीपीएस  
निर्देशांक, बैकवर्ड एण्ड फॉरवर्ड बेरिंग एवं अपने निकटवर्ती  
पिलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त  
गया है।

7 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन  
अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की  
जायेगी।

अण्डरटैकिंग संलग्न है।

8 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में  
योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का  
पालन करेगी।

अण्डरटैकिंग संलग्न है।

9 सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करत हुए संबंधित  
प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के  
उल्लंघन के विषय में सूचना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

प्रयोक्ता अभिकरण से वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया  
गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)

उप वन संरक्षक  
अजमेर

क्रमांक :- सम / 156

दिनांक :-

1. प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल एफसीए, राजस्थान जयपुर को सन्ताने 13 के  
क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

Annexure-1

Name of project:- Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay station Harizan Basti OHSR Ajmer District.

Prposal No.:- FP/RAJ/Water/26264/2017

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

शर्त संख्या -1 की अनुपालना के क्रम में।

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

4.1.2017

  
(एस.एल. जीनगर)

अधिशाषी अभियंता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

प्रति हस्ताक्षर  
  
(अजय विरोड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

Annexure-2

Name of project:- Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay station Harizan Basti OHSR Ajmer District.

Prposal No.:- FP/RAJ/Water/26264/2017

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

शर्त संख्या -2 की अनुपालना के क्रम में।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

इस कार्यालय द्वारा राशि रु. 274764/- में से राशि रूपयें 230000/- चालान संख्या 055920180913291094 के माध्यम से दिनांक 14.09.2018 को कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा जमा करा दी गई है। छाया प्रति सलग्न है।

4.1.2019

  
(एस.एल. जीनगर)

अधिशाषी अभियंता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

प्रति हस्ताक्षर

  
(अजय चौधरी)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

Annexure-3

Name of project:- Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay station Harizan Basti OHSR Ajmer District.

Prposal No.:- FP/RAJ/Water/26264/2017

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

शर्त संख्या -3 की अनुपालना के क्रम में।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लघन फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि 0.0225 हे० के दस गुने अवनत वन भूमि पर  $(0.0225 \times 10 = 0.225 \text{ ha})$  अर्थात् 0.225 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

इस कार्यालय द्वारा राशि रु. 274764/- में से राशि रूपयें 30679/- संशोधित दरो के अनुसार चालान संख्या 055920180913291094 के माध्यम से दिनांक 14.09.2018 को कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में कॉपोरेशन बैंक द्वारा जमा करा दी गई है। छाया प्रति सलग्न है।

4.1.2017

(एस.एल. जीनगर)

अधिशाषी अभियंता

जन स्वा. अभि. विभाग

नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

प्रति हस्ताक्षर

(अजय विजोड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

Annexure-4

Name of project:- Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay station Harizan Basti OHSR Ajmer District.

Prposal No.:- FP/RAJ/Water/26264/2017

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

शर्त संख्या -4 की अनुपालना के कम में।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर दी गई है।

इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सलग्न कर दी गई है।

इस कार्यालय द्वारा राशि रु. 274764/- में से राशि रूपयें 14085/- चालान. संख्या 055920180913291094 के माध्यम से दिनांक 14.09.2018 को कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में कॉपोरेशन बैंक द्वारा जमा करा दी गई है। छाया प्रति सलग्न है।

4.1.2019



(एस.एल. जीनगर)

अधिशाषी अभियंता

जन स्वा. अभि. विभाग

नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

प्रति हस्ताक्षर

  
(अजय विठोड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

Annexure-5

Name of project:- Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay station Harizan Basti OHSR Ajmer District.

Prposal No.:- FP/RAJ/Water/26264/2017

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

शर्त संख्या -5 की अनुपालना के कम में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जमा करा दि जावेगी।

4.1.2019

  
(एस.एल. जीनगर)

अधिशाषी अभियंता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

प्रति हस्ताक्षर  
  
(अजमेर विस्तार)  
जन स्वा. संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

Annexure-6

Name of project:- Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay station Harizan Basti OHSR Ajmer District.

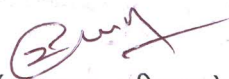
Prposal No.:- FP/RAJ/Water/26264/2017

प्रमाण-पत्र

शर्त संख्या -6 की अनुपालना के कम में।

प्रमाणित किया जात है कि विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक **Backword and forword bearing** एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

4.1.2019

  
(एस.एल. जीनगर)

अधिशाषी अभियंता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

प्रति हस्ताक्षर  
  
(अजय कितौड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

Annexure-7

Name of project:- Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay station Harizan Basti OHSR Ajmer District.

Prposal No.:- FP/RAJ/Water/26264/2017

प्रमाण-पत्र

शर्त संख्या -7 की अनुपालना के कम में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना सलग्न कर दि गयी है।

4.1.2017

(एस.एल. जीनगर)

अधिशाषी अभियंता

जन स्वा. अभि. विभाग

नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

प्रति हस्ताक्षर  
(अजय कितौड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

Name of project:- Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay station Harizan Basti OHSR Ajmer District.

Prposal No.:- FP/RAJ/Water/26264/2017

मक डिस्पोजल योजना

शर्त संख्या -7 की अनुपालना के क्रम में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उच्च जलाशय के निर्माण के दौरान नींव की खुदाई के समय निकले जाने वाले मक को साइट पर हो रहे गड्ढे में निपटान कर दिया जावेगा। अतः इस हेतु मक लाने व ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4.1.2019

  
(एस.एल. जीनगर)

अधिशाषी अभियंता

जन स्वा. अभि. विभाग

नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

प्रति हस्ताक्षर  
  
(अजय विठोड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

Annexure-8

Name of project:- Diversion of 0.0225 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering department, Ajmer for Construction of Trambay station Harizan Basti OHSR Ajmer District.

Prposal No.:- FP/RAJ/Water/26264/2017

प्रमाण-पत्र

शर्त संख्या -8 की अनुपालना के क्रम में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना सुनिश्चित की जावेगी।

4.1.2019

(एस.एल. जीनगर)

अधिशाषी अभियंता

जन स्वा. अभि. विभाग

नगर खण्ड प्रथम, अजमेर

प्रति हस्ताक्षर

(अध्यक्ष चितौड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

## AGENCY COPY

Corporation Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 12-09-2018

|                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Client Code.                                                    | CAM5085                                                       |
| Location.                                                       | RAJASTHAN                                                     |
| Remitter Name.                                                  | EXECUTIVE ENGINEER<br>PHED CITY DN I AJMER                    |
| PIF/Application No.                                             | 5326264954                                                    |
| MoEF/SG File No.                                                | 8B/RAJ/08/26/2017/FC                                          |
| Address.                                                        | Near Mahaveer Circle, Nal<br>Godam Ajmer (Rajasthan)<br>Ajmer |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | ee.phed@yahoo.in<br>9414212310<br>145-2628476                 |
| Amount(in Rs)                                                   | 274764/-                                                      |
| Beneficiary Branch<br>and Code.                                 | Corp Bank Lodhi complex<br>(0371)                             |

Amount in Words Two Lakh Seventy-Four Thousand Seven  
Hundred and Sixty-Four Rupees OnlyDepositor Signature  
(Signature)Bank Official  
(Signature)

Bank Transaction Number

Branch Stamp

Branches should use CMS menu (FCS & CAPS)  
to process the transaction  
Challan should only be accepted against  
INST/DD.

- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

17)

करते हुए संबंधित प्रभागीय  
यम 1980 के उल्लंघन के

त क्षेत्र का मौका निरीक्षण  
या। प्रस्तावित क्षेत्र में गैर  
योक्ता अभिकरण द्वारा वन  
जुमाने के रूप में राशि  
तक 29.11.2017 एवं खवन्ना  
गे गई।

(अजय चित्तौड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

प्रति हस्ताक्षर

(अजय चित्तौड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

05592018 0913 291094

<http://forestsclearance.nic.in/UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx>

(Proposal No. FP/RJ/WATER/26264/2017)

शर्त संख्या-9:-सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र के क्रम में।

### प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र का मौका निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 04.10.2017 को किया गया। प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य किये जाने पर कार्य रूकवा दिया गया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने पर जुर्माने के रूप में राशि 10000/- रुपये जरिये एफआईआर 54 पेज नं. 12 दिनांक 29.11.2017 एवं रवन्ना बुक नम्बर 210 पेज नं. 5 दिनांक 29.11.2017 से वसूल की गई।

4.1.2019

(अजय चित्तौड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

# PROFORMA FOR VERIFICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

|        |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        | Name of Regional Office                                                                              | Ajmer                                                                                                                                           |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | State/District/Forest Division to which the Proposal relates                                         | Rajasthan/Ajmer/Ajmer                                                                                                                           |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 3      | Name of User Agency, Nature of Proposal                                                              | OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHED, CITY<br>DIVISION-I AJMER                                                                                 |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 4      | Nature and category of proposal                                                                      | WATER                                                                                                                                           |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 5      | Proposal Number                                                                                      | FP/RJ/WATER/26264/2017                                                                                                                          |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 6      | Extent of Forest area involved                                                                       | 0.0225 Ha.                                                                                                                                      |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 7      | Whether original or extension                                                                        | Original                                                                                                                                        |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 8      | If extension of lease, please clarify if proposal involves additional Forest area and if so, specify | No                                                                                                                                              |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 9      | Date of 1st state clearance                                                                          | भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय<br>कार्यालय मध्य, लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/<br>08/26/2017/एफसी/872 दि.09.03.2018 |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 10     | Extent of CAMPA charges, head wise viz.                                                              | -                                                                                                                                               |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | (a.) Compensatory Afforestation                                                                      | 0                                                                                                                                               |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | (b.) Additional Compensatory Afforestation                                                           | -                                                                                                                                               |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | (c.) Penal Compensatory Afforestation                                                                | 30679                                                                                                                                           |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | (d.) Catchment area Treatment                                                                        | -                                                                                                                                               |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | (e.) Wild life Management Plan                                                                       | -                                                                                                                                               |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | (f.) Additional charges for diversion of area falling under notified/protected areas                 | -                                                                                                                                               |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | (g.) Net Present Value                                                                               | 14085                                                                                                                                           |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | (h.) Any other charges Levies (please specify)                                                       | 230000                                                                                                                                          |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
|        | <b>Total (a to g)</b>                                                                                | <b>274764</b>                                                                                                                                   |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 11     | Whether payment made through challan or otherwise, In case of online payment, details of challan.    | -                                                                                                                                               |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| 12     | Details of deposits-                                                                                 |                                                                                                                                                 |                         |                        |                 |                                                              |                                                              |
| S. No. | Type of deposit (NPV/CA/IWMP/ Others (specify))                                                      | Whether by RTGS/DD/ NEFT (specify)                                                                                                              | UTR DD No./ CHALLAN NO. | Amount deposited (Rs.) | Date of deposit | Name of Bank from which amount transferred to account of CAF | Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited |
| 1      | NPV/CA/Others                                                                                        | RTGS                                                                                                                                            | 055920180913<br>291094  | 274764                 | 14.09.18        | STATE BANK<br>OF INDIA<br>AJMER                              | RAJASTHAN<br>CAMPA<br>ACCOUNT                                |

Dy. Conservator of Forest  
Ajmer